संख्या:27/2021/638ई-2/तेरह-2021-309/94

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2021

विषय: मेसर्स केसर इण्टरप्राइजेज लि., बहेडी आसवनी, जनपद बरेली की क्षमता 45 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 163.65 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 125 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस के आधार पर 412.50 लाख ली. किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी:93/दो-प्रा.डी.-9/केसर, दिनांक 03-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके उक्त पत्र दिनांक 03-03-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में मेसर्स केसर इण्टरप्राइजेज लि., बहेडी आसवनी, बरेली की अधिष्ठापित क्षमता 45 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 163.65 लाख ली. से बढ़ाकर 125 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 412.50 लाख लीटर वार्षिक किये जाने एवं विस्तारित की जाने वाली क्षमता के अंतर्गत बाजार की मांग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट अथवा 70 कि.ली. वाश टू ई.एन.ए. एवं 30 कि.ली. प्रतिदिन रेक्टिफाइड स्प्रिट से एथनॉल का उत्पादन एवं विक्रय किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in